बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0संख्या–भवन/11/आरोप(पथ प्रमंडल, रामनगर, मोतिहारी)–17/2017 10600 (अ) / पटना, दिनांक– 28/11/17

:: अधिसूचना ::

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, रामनगर, मोतिहारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या–01, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध पथ प्रमंडल, रामनगर, मोतिहारी के पदस्थापन काल में केन्द्रीय निधि सड़क योजनान्तर्गत लोरिया–शिकारपुर, ठोरी पथ के कि0मी0–0 से 12.7 कि0मी0 तक मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य (वर्ष, 2001–2002) की निविदा के कागजात की दर में हेराफेरी करने के आरोप में इनके विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र–''क'' के संदर्भ में पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–3624 दिनांक–13.08.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष दिया गया कि–

''साक्ष्य की मूल प्रति का अनुपलब्ध होना, हस्ताक्षर नमूना का प्रमाणिक न होना एवं संलग्न साक्ष्य किस निविदा से संबंधित है, का साक्ष्य न होना के आलोक में संदेह का लाभ आरोपित पदाधिकारी को मिलेगा।''

किन्तु श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता पर लगाये गये आरोप की गम्भीरता के आधार पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दुओं पर पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–2845 दिनांक–30.03.2009 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण–पृच्छा की गई। श्री प्रसाद द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–06.04.2009 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। इस संदर्भ में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध सेवाच्युति (Removal form service) के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–4512 दिनांक–13.04.2011 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मंतव्य दिया गया कि आरोप के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड अनुपातिक नहीं है। यह नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है। अतः आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करता है।

इस दौरान श्री सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–9187/11 दायर की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.12.2011 को पारित आदेश में श्री प्रसाद के विरूद्ध किसी कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। किन्तु पथ निर्माण विभाग द्वारा दायर L.P.A संख्या–428/2013 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–13.08.2013 को आदेश पारित किया गया।

इसी अवधि में अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप श्री प्रसाद की सेवा भवन निर्माण विभाग में आने के उपरान्त इनके विरूद्ध भवन निर्माण विभाग के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A संख्या–428/2013 में पारित आदेश के आलोक में श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया। विभागीय तकनीकी समिति द्वारा अपने मंतव्य में उल्लेख किया गया कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोप के प्रतिकार के संदर्भ में कोई साक्ष्य का अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया है। अतएव श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है। इसके आलोक में श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर से असहमति के बिन्दुओं को सकारण अंकित करते हुए भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–10621 दिनांक–09.10.2014 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक–24.10.2014 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसमें अन्य तथ्यों के अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–3511/1998 (उत्तर प्रदेश बनाम श्री राजपाल सिंह) में दिनांक–20.02.2001 को पारित आदेश का भी उल्लेख किया गया कि समान प्रकृति के आरोपों के लिए आरोपी पदाधिकारियों को अलग–अलग तरीके से दण्ड नहीं दिया जा सकता है। इस बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि कार्यपालक अभियंता निविदा एवं संबंधित कागजात के मुख्य अभिरक्षक (Chief Custodian) हैं। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पारित न्यायादेश श्री सुरेन्द्र प्रसाद के मामले में लागू नही होता है। इस लिए अनुशासनिक प्राधिकार मामले में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई कर सकता है।

अतः संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन, बिहार लोक सेवा आयोग का मंतव्य तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य एवं विधि विभाग के परामर्श के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रामनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या–01, पटना को लोरिया–शिकारपुर, ठोरी पथ के कि0मी0–0 से 12.7 कि0मी0 तक मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य (वर्ष 2001–2002) के निविदा कागजात में हेराफेरी कर गम्भीर अनियमितता बरतने के लिए दोषी मानते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए वृहत दण्ड देने का निर्णय लिया गया एवं विभागीय स्तर से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 उप नियम–08 के तहत श्री सुरेन्द्र प्रसाद को कार्यपालक अभियंता के पद से पूरी सेवा अवधि के लिए सहायक अभियंता के निम्नतर कालमान वेतन में पदावनत किये जाने के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक–3650(भ0)अनु0 दिनांक–27.04.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1339 दिनांक–31.08.2017 द्वारा विभागीय प्रस्ताव यह उल्लेख करते हुये बिना परामर्श के वापस कर दिया गया कि–आरोपित पदाधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों के परिपेक्ष्य में आयोग द्वारा पूर्व में परामर्श दिया जा चुका है फलतः बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य परिसीमन) विनियम, 1957 की कंडिका–14 में अंकित प्रावधान के आलोक में संशोधित दण्ड पर पुनः आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। विभाग /सरकार के स्तर से विचारोपरान्त उक्त विषयक प्रस्ताव पर आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।

अतः श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रामनगर, मोतिहारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या–01, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सरकार के निर्णयानुसार उक्त प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 उप नियम–08 के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है –

(1) कार्यपालक अभियंता के पद से पूरी सेवा अवधि के लिए सहायक अभियंता के निम्नतर कालमान वेतन में पदावनत।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/11/2017

(रवि शंकर चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10/आरोप(गया)–48/2015 10600 (भ) पटना, दिनांक– 28/11/17

प्रतिलिपिः–वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/11/2017

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10/आरोप(गया)–48/2015 10600 (भ) पटना, दिनांक– 28/11/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/2017

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10 / आरोप(गया)–48 / 2015 10600(ग)/ पटना, दिनांक– 28/11/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी मुख्य अभियंता / सभी अवर सचिव / प्रभारी पदाधिकरी (राजपत्रित स्थापना), भवन निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी / भवन निरूपण अंचल संख्या–01, पटना / श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रामनगर, मोतिहारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या–01, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।